राजस्व वाद संख्या 116/2019

| दिनांक | हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज | नम्बर अह हुक्म में |
|---|---|---|
| 22.10. 2019 | पत्रावली पेश हुई।<br>वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उप0।<br><br>वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण ने उक्त वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त एवं पुश्तैनी खातेदारी की विभाजित भूमि खेत खसरा नम्बर 216 रकबा 226.09 बीघा, ग्राम मतुजा के खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 171.03 बीघा तथा खेत खसरा नम्बर 309, 411/309 रकबा क्रमशः 10.00, 185.14 बीघा कुल रकबा 195.14 बीघा भूमि मौजा हाथीसिंह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिह का गांव तह0 शिव मे आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य खातेदारान की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि वक्त बंदोबस्त खेत खसरा नम्बर 216, 194, 309 रकबा क्रमशः 226.09, 171.05, 202.03 बीघा कुल रकबा 599.17 बीघा भूमि मौजा कोटडा तह0 शिव में वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 गुमानसिह पुत्र खुशालसिंह के नाम से आई हुई थी। जो उनके देहावसान पर उसके दो पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विरासत मे बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद विरासत के नामान्तरकण की स्वीकृति से हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में विभाजित होकर नवसृजित ग्रामो मतुजा एवं हाथीसिंह का गावं में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 216 रकबा 226.09 बीघा वाके मौजा मतुजा, (प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/2), खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 171.03 बीघा (प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/4) तथा खेत खसरा नम्बर 309, 411/309 रकबा क्रमशः 10.00, 185.14 बीघा कुल रकबा 195.14 (प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/2) वाके मौजा हाथीसिह का गांव, पटवार मण्डल हाथीसिह का गांव तह0 शिव में आई हुई है। वादीगण जाति से राजपुत होने से हिन्दू विधि से शासित होते है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी एवं सहदायिकी की होने के कारण उक्त भूमि पर वादीगण का जन्मतः हक है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की औलादें हैं किन्तु वादीगण के पितामह गुमानसिंह के फोत होने पर दायर नामान्तकरण में केवल प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने से राजस्व रेकर्ड में भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुए अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।<br><br>वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में खतोनी बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अजखुद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा माफिक वाद स्वयं के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की वादीगण ने बतौर साक्ष्य अपना ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया।<br>पक्षकारन ने अपने बयान कलमबद्व करवाये ओर दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदिया, खतोनीबन्दोबस्त व संरपच ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।<br><br>हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खतोनी बन्दोबस्त ग्राम कोटडा, तहसील शिव के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति की है। जो उन्हें गुमानसिह से विरासत मे प्राप्त हुई थी। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गेमरसिंह के चार पुत्र– नखतसिंह, हठेसिंह, बखतावरसिंह, रामसिंह है और इनके अतिरिक्त गेमरसिंह के अन्य कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है और पुश्तैनी भुमि के आधार पर वादीगण | |

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 216 रकबा 226.09 बीघा वाके मौजा मतुजा मे प्रत्येक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/10, खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 171.03 बीघा भूमि में प्रत्येक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/20 तथा खेत खसरा नम्बर 309, 411/309 रकबा क्रमशः 10.00, 185.14 बीघा कुल रकबा 195.14 बीघा वाके मौजा हाथीसिह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिह का गांव तह0 शिव की भूमि में प्रत्येक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/10 घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

# डिकी पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर

राजस्व वाद सं. 116/2019

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

| वदीनी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. नखतसिंह पुत्र गेमरसिंह<br>2. हठेसिह पुत्र गेमरसिंह<br>3. बखतावरसिह पुत्र गेमरसिंह<br>4. रामसिंह पुत्र गेमरसिंह<br>जाति– राजपुत, नि0 हाथीसिंह का गांव तह0 शिव | | 1. गेमरसिह पुत्र गुमानसिह<br>2. सबलसिह पुत्र गुमानसिह<br>3. मानसिह पुत्र कानसिह<br>4. परबतसिह पुत्र कानसिह<br>5. श्रीमती सदाकंवर पत्नि कानसिह<br>जाति–राजपुत, नि0 हाथीसिंह का गांव तह0 शिव<br>6. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा शिव |

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं की उपस्थिति में आज तारीख 21.01.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 216 रकबा 226.09 बीघा वाके मौजा मतुजा मे प्रत्येक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/10, खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 171.03 बीघा भूमि में प्रत्येक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/20 तथा खेत खसरा नम्बर 309, 411/309 रकबा क्रमशः 10.00, 185.14 बीघा कुल रकबा 195.14 बीघा वाके मौजा हाथीसिह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिह का गांव तह0 शिव की भूमि में प्रत्येक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/10 घोषित किया जाता है।तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाडमेर

सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:24:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: